

4. अंकसूची संशोधन-

Click to view

संस्थान से जारी अंकसूची में संशोधन के लिये निम्न आवेदन के साथ निर्धारित राशि के डिमांड ड्राफ्ट एवं आवेदन में दर्शित अभिलेखों के साथ संशोधन की मूलअंकसूची संस्थान भेजने पर संशोधन की कार्यवाही की जा कर अवगत कराया जाता है।

नोट:-संस्थान द्वारा अंकसूची में संशोधन हस्तलिखित किया जाता है आवेदक द्वारा कम्प्यूटराईज अंकसूची चाहे जाने के लिये आवेदन में उल्लेख कर दुगनी राशि का डिमांड ड्राफ्ट भेजा जाना आवश्यक है।

अंकसूची संशोधन हेतु आवेदन पत्र

निदेशक
महर्षि पतञ्जलि संस्कृत संस्थान
सेकेण्ड स्टाप तुलसी नगर भोपाल

रोल नंबर.....
परीक्षा का वर्ष
केन्द्र क्रमांक

विषय:- अंकसूची संशोधन हेतु करने बावत्
महोदय ,

मुझेपरीक्षा का विषयान्तर्गत दस्तावेजसंशोधन करने की कृपा
करें। इस संबंध में जानकारी निम्नलिखित है।

- नाम
- पिता/पति का नाम
- परीक्षा का नाम
- परीक्षा का वर्षरोल नंबरनामांकन.....
- नियमित/स्वाध्यायी.....
- केन्द्र का नाम
- केन्द्र क्रमांकजन्मतिथि
- संशोधन हेतु संलग्न दस्तावेज का विवरण.....
- संशोधन क्या है.....
- संलग्न शुल्क का बैंक ड्रॉप्ट क्रमांकराशिदिनांक.....
- मुख्य अथवा पूरक परीक्षा की अंकसूची

अंकसूची में संशोधन के लिए निम्नानुसार अभिलेख संलग्न करना अनिवार्य है:-

01. नाम/ उपनाम/ लिंग/नामांकन / में संशोधन हेतु आवश्यक अभिलेख :-

- 1.1 कक्षा 5वीं (प्रवेशिका) 8वीं (प्रथमा) की मूल अंकसूची /प्रमाणपत्र एवं उसकी छायाप्रति संबंधित प्राचार्य द्वारा प्रमाणित /संकुल प्राचार्य द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित ।
- 1.2 मध्यप्रदेश शासन द्वारा निर्धारित छात्र प्रवेश पंजी (स्कालर रजिस्टर) फार्म - 3 की छायाप्रति प्राचार्य द्वारा प्रमाणित तथा जिलाशिक्षा अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित ।
- 1.3 मूल नामांकन प्रमाणपत्र तथा उसकी प्रमाणित छायाप्रति अथवा संस्थान द्वारा जारी प्रवेश पत्र की छायाप्रति

02.जन्मतिथि में संशोधन हेतु आवश्यक अभिलेख:-

- 2.1 कक्षा 5वीं (प्रवेशिका) 8वीं (प्रथमा) की मूल अंकसूची /प्रमाणपत्र एवं उसकी छायाप्रति संबंधित प्राचार्य द्वारा प्रमाणित /संकुल प्राचार्य द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित ।
- 2.2 मध्यप्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा निर्धारित फार्म -3 अनुसार छात्र प्रवेश (स्कालर रजिस्टर)की प्राचार्य द्वारा प्रमाणित तथा जिलाशिक्षा अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित ।
- 2.3 जिला पंजीयन अधिकारी ,मध्यप्रदेश शासन आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय द्वारा प्रारूप क्रमांक 5 अनुसार निर्धारित जन्म प्रमाण पत्र एवं उसकी प्रमाणित छायाप्रति ।

03.बैंक ड्रॉप्ट निदेशक महर्षि पतञ्जलि संस्कृत संस्थान के नाम से बनावे।

04.परीक्षाफल घोषित होने के तीन वर्ष के पश्चात संशोधन प्रकरणों को मान्य नहीं किया जावेगा।

05. संशोधन प्रकरण संबंधित प्राचार्य के माध्यम से प्राप्त होना आवश्यक है।

शुल्क विवरण :-

पूर्व मध्यमा (10वीं):- 250/-

उत्तरमध्यमा (12वीं):- 300/-

परीक्षार्थी के स्वयं के हस्ताक्षर

नाम

पता

.....

जिलापिन.....